

Tenders, Purchase & registration of contractors

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

भोपाल दिनांक 9 अगस्त, 92

1. जैसा कि आपको विदित है, राज्य के भण्डार क्रय नियमों के नियम 14 के अंतर्गत जारी सूची जारी ब में 196 वस्तुएं आरक्षित की गई हैं , जिसकी खरीदी सभी शासकीय विभागों को मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्य से करना अनिवार्य है । आरक्षित वस्तुओं की खरीदी शासकीय विभागों द्वारा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के अलावा अन्य स्रोतों से तभी की जा सकती है जबकि मध्यप्रदेश लघु उद्योग द्वारा उन विभागों अनूपलब्धता प्रमाण पत्र दे दे ।
- 2 शासन के ध्यान में यह लाया गया कि कतिपय शासकीय विभाग, आरक्षित वस्तुओं की खरीदी मध्यप्रदेश लघु उद्योग नियम से अनूपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से कर रहे हैं जो कि भण्डार क्रय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है ।
3. उल्लेखनीय है कि भंडार क्रय नियमों के नियम -14 के पद क्रमांक 51 निम्नानुसार प्रावधान हैं :- The purchasing authority while sending the bills to treasury shall record a certificate on it to the effect that provision of rule - have been fully complied with.
4. अतः आप से अनुरोध है कि कृपया आप विभागिया अधिकारियों को निदेश देवे कि वे आरक्षित वस्तुओं की खरीदी भण्डार क्रय नियमों के अंतर्गत केवल मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से ही करे तथा सभी भुगतान जारी करने के पूर्व इस बात की पुष्टि कर ले कि विभागों द्वारा खरीदी की कार्यवाही भण्डार क्रय नियमों के नियम 14 के प्रावधान के अनुसार ही हुई हैं ।

भवदीय
सही
प्रदीप बैजल

समस्त मुख संचिव / प्रमुख संचिव एवं संचिव

मध्यप्रदेश शासन भोपाल